न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प– बगड़ीनगर
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 74 / 2020

वादीगण

1. कैलाश पुत्र धीसुलाल जाति घांची नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र गुमनाराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)
2. आनन्द प्रकाश पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
3. केली देवी पत्नि वेनाराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत, जिला पाली।
4. जेठाराम पुत्र टीकमराम जाति माली नि0 सोजतरोड, तह0 सोजत के का0मु0

4/1 संतोष पत्नि जेठाराम जाति माली
4/2 शिल्पा पुत्री जेठाराम जाति माली
4/3 प्रियंका पुत्री जेठाराम जाति माली
4/4 ज्योति पुत्री जेठाराम जाति माली
4/5 रिमझिम पुत्री जेठाराम जाति माली
4/6 जिज्ञासा पुत्री जेठाराम जाति माली
4/7 देवेन्द्र पुत्र जेठाराम जाति माली
4/2 से 4/7 कुदरती वली माता संतोष पत्नि जेठाराम माली नि0 सोजतरोड तह0 सोजत

5 जीताराम पुत्र खेताराम जाति सीरवी, नि0 सोजतरोड, तह0 सोजत
6 ढगलाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत
7 थानाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत
8 नेतीराम पुत्र तिलोकराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत
9 पायल पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत
10 मंगाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
11 राकेश पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
12 अणचाई पत्नि कालुराम जाति सीरवी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत

13 समुन्द्रसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।

14 तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता वादी उपस्थित।

2. श्री युगलकिशोर अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 4/1, 6, 7 8 10 12 उपस्थित।

3. श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 08.11.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बगड़ीनगर में वादी की खातेदारी एवं कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 2046 रकबा 4.0100 है0 किस्म चा0प्र0 खसरा नंबर 2046/5 रकबा 0.2258 है0 किस्म चा0प्र0 वाके आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी का 9/328 हिस्सा आता है। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2046 व 2046/5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 13 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से स्पष्ट रूप से साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज से करीब 2 वर्ष पूर्व तथा वादी के प्रिंसिपल व्रिला द्वारा भी प्रतिवादीगण के मध्य भी मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है, तथा वर्तमान में मौके पर बंटवाड़े के अनुसार ही वादी अपने हिस्से में काबिज है, जिसका नजरी नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है, जो प्रदर्श 1 है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मौखिक बंटवाडे के अनुसार तथा पटवारी हल्का द्वारा जांच व मौके के अनुसार खसरा नंबर 2046/5 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक का संयुक्त कब्जा काश्त है। खसरा नंबर 2046/5 कृषि भूमि में वादी कैलाश व प्रतिवादी भंवरलाल का मौके पर 1/2, 1/2 हिस्सा आता है तथा खसरा नंबर 2046/5 राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम भी हो चुका है, लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खसरा नंबर 2046, 2046/5 की जमाबंदी संयुक्त रूप से है। जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण का एक ही खाते में नाम इन्द्राज हो रखा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी है, जिन दोनो खसरों में वादी का 3/928 हिस्सा आता है, साथ ही खसरा नंबर 2046/5 में वादी व प्रतिवादी भंवरलाल के मध्य भी मौके पर बंटवाड़ा व तारबंदी हो चुकी है, तथा खसरा नंबर 2046 रकबा 4.0100 है0 में प्रतिवादी संख्या 2 से 13 तक काबिज है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से खाता अलग–अलग नहीं होने से वादी को काफी परेशानी आ रही है, तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अक्सर माठ व सीमा को लेकर संशय बना रहता है तथा विवाद होने की प्रबल सम्भावना है। वादग्रस्त सम्पति सरहद

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मौजा बगडीनगर में रेल्वे अण्डरब्रीज पुल से बगडी जाने वाली सडक पर आयी हुई है तथा प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.05.2020 को वादी की सहमति के बिना अपनी मनमर्जी से बिना कोई सीमांकन करवाये मौके पर तारबंदी कर दी है। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण खसरे का कोई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने तथा विकल्प में मौके अनुसार सहमति से खसरा नंबर 2046/5, 2046 में संयुक्त 3/928 में वादी का हिस्सा होने से तथा मौके व नक्शे में खसरा नंबर 2046/5 प्रतिवादी संख्या 1 व वादी का 1/2 हिस्सा का अलग अलग कर खाता नया बनाने हेतु व राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा हेतु निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 सहमत हो गया, लेकिन अन्य प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करने से मना कर दिया। जिस पर वादी दिनांक 18.06.2020 को पटवारी हल्का व तहसीलदार, सोजत से भी निवेदन किया। जिस पर राजस्व केम्प में अलग–अलग खाता करने की सलाह दी। मगर राजस्व केम्प की तिथि नियत नहीं होने से वादी के कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। वादी अपनी खातेदारी सुदा कृषि भूमि तरमीम सुदा कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में बंटवाड़ा के अनुसार अलग अलग खाता करवाने का कानूनी अधिकारी है। बिनाय दावा वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी सुदा कृषि भूमि होने से तथा राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम होने के बावजूद भी जमाबंदी में अलग अलग खाता नहीं होने से वादी द्वारा दिनांक 18.06.2020 को प्रतिवादीगण व राजस्व अधिकारी को बंटवाडा हेतु निवेदन किया, लेकिन मना कर दिया। इसलिए बिनाय दावा बमुकाम बगडी नगर तहसील सोजत में उत्पन्न हुआ। उपरोक्त वाद बंटवाडा का होने से तहसीलदार, आवश्यक पक्षकार है, इसलिए उक्त वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर किये जाने की, कि सरहद मौजा बगड़ीनगर चक संख्या–1 में वादी की खातेदारी व कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 2046, रकबा 4.0100 है0 एवं खसरा नंबर 2046/5 रकबा 0.2258 है0 कुल रकबा 4.2358 है0 किस्म चा0प्र0 वाके आयी हुई है, जिस सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी भंवरलाल का 9/328 आता है, इसलिए वादी भंवरलाल का सम्पूर्ण हिस्सा अलग कर मौके अनुसार केवल खसरा नंबर 2046/5 रकबा 0.2258 है0 किस्म चा0प्र0 जा0अ0 व बंजड में 1/2 हिस्से की भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाये जाने तथा वादी का 1/2 हिस्से की भूमि को राजस्व नक्शे में तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7, 8, 10 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री युगलकिशोर ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध तामिली सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.09.2021 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 9 11 13 को सम्मनस तामिली /सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहने से दिनांक 23.01.2021 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जबाब दावा पेश कर वाद पत्र के पद संख्या 01, 02 3, 4, 5 सही होना

Gohal
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

कार व अंकित किया है। वाद पत्र के पद संख्या 6 7 8 9 कानूनी होना अंकित किया। वादपत्र के पद संख्या 10 अ, ब, स वादी की ईश्तदुआ वादी को प्रदान किये जाने का अंकन किया है। जबाब दावा प्रतिवादी संख्या 6 7 8 10 व 12 की ओर से पेश कर अंकित किया है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 2046 रकबा 4.0100 है0 किस्म चा0प्र0 खसरा नंबर 2046/5 रकबा 0.2258 है0 किस्म चा0प्र0 में 9/328 हिस्सा हो तो प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है वादी स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे। वाद पत्र के पद संख्या 02 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, स्वयं साबित करे। वाद पत्र के पद संख्या 3 फिवल्स, वैक्सेसियस झूठा होने से अस्वीकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कभी भी किसी भी दिनांक को या वादी के प्रिसिंपल विक्रेता द्वारा प्रतिवादीगण के मध्य भी मौके पर बंटवाड़ा होने का कथन बिल्कुल ही गलत है। वादी का यह लिखना सफेद झूठ है कि वर्तमान में मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार ही वादी अपने हिस्से पर काबिज है। वादी ने वाद पत्र के साथ कोई नजरी नक्शा पेश किया होगा तो जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं हैं। नजरी नक्शे की प्रति वादी ने प्रतिवादीगण को उपलब्ध नही करवायी है। जिस कारण नजरी नक्शा की हद तक प्रतिवादीगण अपना जबाब प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वादी का यह लिखना गलत है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मौखिक बंटवाडा के अनुसार तथा पटवारी हल्का के द्वारा जांच व मौके के अनुसार खसरा नंबर 2046/5 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का संयुक्त कब्जा काश्त हो। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 का खसरा नंबर 2046/5 की कृषि भूमि में 1/2–1/2 हक हिस्सा होने का कथन बिल्कुल गलत एवं फिवल्स हैं, जबकि खसरा नंबर 2046/5 ऐसा कोई खसरा नंबर नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी व अन्य सह खातेदार की संयुक्त कृषि जोत की भूमि सरहद मौजा बगडीनगर चक प्रथम के खसरा नंबर 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 कुल खसरा 15 कुल रकबा 14.2500 है0 की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें कुछ सह खातेदार द्वारा बाले बाले तरीके से पटवारी हल्का से नामान्तरकरण अपने नाम करवा कर नक्शे में तरमीम करवा दी, जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 08 नेतीराम ने न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर पाली के न्यायालय में प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 81 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 सपठित आदेश 41 नियम 05 सीपीसी का प्रस्तुत किया साथ ही अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राज0 अधि0 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की। प्रकरण 38/2020 तथा विविध प्रकरण 76/2020 है। जिसमें माननीय असिस्टेन्ट कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 11.11.2020 को स्थगन आदेश पारित फरमाया कि उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2046 राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखेगे एवं वादस्थ भूमि के वर्तमान भौतिक स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न करेंगे तथा बेचान, हस्तान्तरण नही करेंगे का आदेश पारित फरमाया गया। फिर भी वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से मिलावट कर गलत झूठा एवं फिवल्स वाद धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का न्यायालय में प्रस्तुत किया है, वादस्थ भूमि का आज दिन तक किसी प्रकार का बंटवाड़ा नहीं हुआ है। वादी का यह लिखना गलत है कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.05.2020 को वादी की सहमति व मौका अनुसार खसरा नंबर 2046/5 व 2046 में से संयुक्त 3/928 में वादी का हिस्सा हो व मौके पर नक्शे में खसरा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

2046/5 में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा अलग नक्शा बनाने हेतु व बंटवाड़ा करने हेतु निवेदन करने का कथन झूठ फिवल्स है। खसरा नंबर 2046/5 ऐसा कोई खसरा नही बना है यदि ऐसा कोई खसरा नंबर बने ही होते तो प्रतिवादीगण का हिस्सा सहमति से बाले बाले बनाये गये है। जिस बाबत् प्रतिवादीगण ने माननीय एडीएम कोर्ट पाली में पृथक--पृथक अपीले प्रस्तुत कर दी है व वहां से स्थगन किया गया है। जिस कारण वादरथ कृषि भूमि का बंटवाड़ा की पत्रावली पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वाद पत्र का पद संख्या 5 बिनायदावा का है, जो कानूनी है। दिनांक 18.06.2020 को बिनायदावा उत्पन्न होने का कथन गलत लिखा है। वाद पत्र के पद संख्या 6 7 8 कानूनी है। विशेष उज्रात अंकित किया कि वादी ने सभी सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद पक्षकारान के कुसंयोजन होने से खारिज होने योग्य है। खसरा नंबर 2046 में मृतक जीताराम पुत्र खेताराम नि0 सोजत रोड़ तह0 सोजत के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है। जबकि मृतक के वारिसान को पक्षकारान नहीं बनाये जाने के कारण वाद बंटवाड़ा का प्रस्तुत करना कानून के विपरित होने से खारिज योग्य है। वादी एवं सह खातेदारान के बाले बाले तरीके से खसरा नंबर 2046 रकबा 4.9200 है0 का बिना विभाजन किये मात्र राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर बिना प्रतिवादीगण की सहमति से तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी नेतीराम ने माननीय एडीएम कोर्ट पाली में अपील प्रस्तुत की है, जिसमें स्थगन हो चुका है जिसकी नकल जबाब दावा के साथ संलग्न है। अपील के निस्तारण तक वाद चलने योग्य नहीं है। पूर्व में भी सह खातेदार समन्दरसिंह ने राजस्व मूल वाद ढगलाराम अन्य के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके राजस्व मूल वाद संख्या 130/2012 कायम हुए जो मूल वाद में वादी पक्षकार प्रतिवादी था जो वाद भी मृतक जीताराम पुत्र खेताराम को मृतक को पक्षकार नहीं बनाये जाने से खारिज किया गया था। जिस आधार पर भी उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है। वाद बंटवाड़ा का होने से सभी खातेदारान को पक्षकार बनाये व मृतक जीता के वारिसान को पक्षकारान बनाये बगैर चलने योग्य नहीं है। रेल्वे विभाग द्वारा भूमि आवाप्ति की गई है जिसका मुआवजा प्रदान किया गया जो सभी पक्षकारान के अपने अपने हिस्से माफिक पृथक पृथक प्राप्त किया गया। जिसकी भूमि आवाप्ति के बाद शेष बची भूमि को दर्शाये बगैर वाद चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रति0 संख्या 6, 7, 8, 10 व 12 ने जबाब दावा मय विशेष उज्रात पेश कर वादी का वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी कर विवादग्रस्त भूमि का बाईमिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रकरण विभाजन का है, उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत है प्रा0 डिक्री हेतु निवेदन करने पर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की गई कि माफिक राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कब्जे अनुसार वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बगडी चक 1 में स्थित खसरा नम्बर 2046 एवं 2046/5 कुल किता खसरा 02 कुल रकबा 4.2358 हैक्टर किस्म चा0प्र0, जा0अ0, बंजड कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

अर्थात् खाता व लगान अलग–अलग किया जावें। मौके पर नाप–चौप करके नेखम बन्दी पत्थरगढ़ी करवाई जाकर विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा बनाया जाकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को अधिकृत किया जिन्हे तहरीर मय प्राथमिक डिक्री भेजी जाकर पत्रांक / कोर्ट / 2021 / 1183 दिनांक 22.10.2021 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना चाही गई।

तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक / राजस्व / एसपी–1 दिनांक 08.11.2021 को प्राथमिक डिक्री मय विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा राज0 काश्त0 अधि0 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया। मौका फर्द तैयार कर अंकित किया कि आज दिनांक 07.11.2021 को राजस्व वाद संख्या 74 / 2020 कैलाश बनाम भंवरलाल में जारी प्रा0 डिक्री 30.09.2021 की पालना में ग्राम बगडी–1 के खसरा नंबर 2046 व 2046 / 5 का रेकर्ड व मौका से जांच की गई। वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अणचाई पत्नि कालूराम वगैरह कुल 15 खातेदारान के नाम ख0न0 2046, 2046 / 5 दर्ज है। जमाबंदी अनुसार इसमें भंवरलाल पुत्र गुमनाराम का 9 / 328 व कैलाश पुत्र घीसुलाल का 9 / 328 हिस्सा दर्ज है। माफिक राजीनामा मय नजरी नक्शा पर गौर किया गया तथा अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित किया गया, का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.11.2021 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानो में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.11.2021 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बगडी चक 1 के खसरा नम्बर 2046 एवं 2046 / 5 कुल किता खसरा 02 कुल रकबा 4.2358 हैक्टर किस्म चा0प्र0, जा0अ0, बंजड कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्रम.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	कैलाश पुत्र घीसुलाल कौम घांची सा0 देह खातेदार।	2046 / 5	0.1129	चाप्र जा0अ0	1.22
2.	भंवरलाल पुत्र गुमनाराम कौम घांची सा0 देह खातेदार।	2046 / 12	0.1129	चाप्र जा0अ0	1.23
3.	अणचाई पत्नि कालुराम ना0बा0 आनन्द प्रकाश पुत्र वेनाराम संरक्षक सरपरस्त माता केली, केली पत्नि वेनाराम सीरवी जेठाराम पुत्र टीकमराम माली सा0 सोजरोड, जीता पुत्र खेता	2046	4.01	चाप्र जा0अ0	26.40 9.52 5.34

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

	सीरवी सा0 देह ढगलाराम पुत्र कालुराम सीरवी थानाराम पुत्र कालुराम सीरवी सा0 सोजतरोड नेतीराम दत्तक पुत्र तिलोक सीरवी सा0 देह ना0बा0 पायल पुत्री वेनाराम संरक्षक सरपरस्त माता केली सीरवी सोजतरोड मगाराम पुत्र कालुराम सीरवी सोजतरोड, ना0बा0 राकेश पुत्र वेनाराम संरक्षक माता केली सीरवी सोजतरोड रामलाल पुत्र पुकाराम सीरवी कण्टालिया समुन्दरसिंह पुत्र सुजानसिंह राजपूत सा0 देह खातेदार।				

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें तथा खसरा नम्बर 2046 की भूमि का कॉलम संख्या 03 में अंकित खातेदारों मे मध्य प्रावधानानुरूप दुरूस्त रूप से हिस्सा दर्ज करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – बगड़ीनगर
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – बगड़ीनगर
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ0२0 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादीगण

1. कैलाश पुत्र घीसुलाल जाति घांची नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र मूमाराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तहसील सोजत, जिला पाली, (राजस्थान)
2. आनन्द प्रकाश पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
3. केली देवी पत्नि वेनाराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत, जिला पाली।
4. जेठाराम पुत्र टीकमराम जाति माली नि0 सोजतरोड़, तह0 सोजत के का0मु0

4/1 संतोष पत्नि जेठाराम जाति माली

4/2 शिल्पा पुत्री जेठाराम जाति माली

4/3 प्रियंका पुत्री जेठाराम जाति माली

4/4 ज्योति पुत्री जेठाराम जाति माली

4/5 रिमझिम पुत्री जेठाराम जाति माली

4/6 जिज्ञासा पुत्री जेठाराम जाति माली

4/7 देवेन्द्र पुत्र जेठाराम जाति माली

4/2 से 4/7 कुदरती वली माता संतोष पत्नि जेठाराम माली नि0 सोजतरोड़ तह0 सोजत

5 जीताराम पुत्र खेताराम जाति सीरवी, नि0 सोजतरोड़, तह0 सोजत

6 ढगलाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत

7 थानाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत

8 नेतीराम पुत्र तिलोकराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत

9 पायल पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत

10 मंगाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।

11 राकेश पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।

12 अणचाई पत्नि कालुराम जाति सीरवी नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत

13 समुन्द्रसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत नि0 बगड़ीनगर, तह0 सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

जिला पाली।

14 तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 74 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता वादी तथा श्री युगलकिशोर व श्री मुकेश भाटी क्रमशः 4 / 1, 6 7 8 10 12 एवं 01 अधिवक्तागण प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिग्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगडी चक 1 के खसरा नम्बर 2046 एवं 2046 / 5 कुल किता खसरा 02 कुल रकबा 4.2358 हैक्टर किस्म चा0प्र0, जा0अ0, बंजड कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिग्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	कैलाश पुत्र घीसुलाल कौम घांची सा0 देह खातेदार।	2046 / 5	0.1129	चाप्र जा0अ0	1.22
2.	भंवरलाल पुत्र गुमनाराम कौम घांची सा0 देह खातेदार।	2046 / 12	0.1129	चाप्र जा0अ0	1.23
3	अणचाई पत्नि कालुराम ना0बा0 आनन्द प्रकाश पुत्र वेनाराम संरक्षक सरपरस्त माता केली, केली पत्नि वेनाराम सीरवी जेठाराम पुत्र टीकमराम माली सा0 सोजरोड, जीता पुत्र खेता सीरवी सा0 देह ढगलाराम पुत्र कालुराम सीरवी थानाराम पुत्र कालुराम सीरवी सा0 सोजतरोड नेतीराम दतक पुत्र तिलोक सीरवी सा0 देह ना0बा0 पायल पुत्री वेनाराम संरक्षक सरपरस्त माता केली सीरवी सोजतरोड मगाराम पुत्र कालुराम सीरवी सोजतरोड, ना0बा0 राकेश पुत्र वेनाराम संरक्षक माता केली सीरवी सोजतरोड रामलाल पुत्र पुकाराम सीरवी कण्टालिया समुन्दरसिंह पुत्र सुजानसिंह राजपूत सा0 देह खातेदार।	2046	4.01	चाप्र जा0अ0	26.40 9.52 5.34

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करे तथा खसरा नम्बर 2046 की भूमि का कॉलम संख्या 03 में अंकित खातेदारों मे मध्य प्रावधानानुरूप दुरूस्त रूप से हिस्सा दर्ज करे। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.11.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राजस्थान

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

(आ०20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

प्राथमिक डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

	वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1.	कैलाश पुत्र घीसुलाल जाति घांची नि0 बगडीनगर तह0 सोजत जिला पाली।	1	भंवरलाल पुत्र गुमनाराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर तह0 सोजत जिला पाली।
		2	आनन्द प्रकाश पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
		3	केली देवी पत्नि वेनाराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर तह0 सोजत जिला पाली।
		4	जेठाराम पुत्र टिकमराम जाति माली नि0 सोजतरोड, तह0 सोजत के का0मु0
		4/1	संतोष पत्नि जेठाराम जाति माली
		4/2	शिल्पा पुत्री
		4/3	प्रियंका पुत्री
		4/4	ज्योति पुत्री
		4/5	रिमझिम पुत्री
		4/6	जिज्ञासा पुत्री
		4/7	देवेन्द्र पिसरान जेठाराम जाति माली कुदरती वलि माता संतोष पत्नि जेठाराम माली नि0 सोजतरोड तह0 सोजत जिला पाली।
		5	जीताराम पुत्र खेताराम जाति सीरवी नि0 सोजतरोड़ तह0 सोजत
		6	ढगलाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर तह0 सोजत
		7	थानाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर तह0 सोजत
		8	नेताराम पुत्र तिलोकराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर तह0 सोजत
		9	पायल पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगडीनगर तह0 सोजत
		10	मंगाराम पुत्र कालुराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर तह0 सोजत जिला पाली।
		11	राकेश पुत्र वेनाराम संरक्षक केली देवी जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
		12	अणचाई पत्नि कालुराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर
		13	समुन्द्रसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
		14	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

...स्व वाद संख्या :– 74/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री धर्मीचंद देवासी एवं अधिवक्ता प्रति० श्री युगलकिशोर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगडी चक 1 के खसरा नम्बर 2046, 2046/5 कुल किता खसरा 02 कुल रकबा 4.2358 हैक्टर किस्म चा0प्र0, जा0अ0, बंजड़ भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस करके खाता व लगान पृथक–पृथक किया जावे। मौके पर नाप चौप करके नेखमबंदी एवं पत्थरगढी करवाई जावें। तहसीलदार, सोजत को इस हेतु अधिकृत किया जावें। तहसीलदार, सोजत को प्राथमिक डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना मंगवाई जावे।

मीजान –   मुबलिग –   बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.09.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			